भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3834
21 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

केन्द्रीय भण्डार का कार्यनिष्पादन

3834. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बड़ी हिस्सेदारी वाले केन्द्रीय भण्डार ने विमुद्रीकरण और कोविड अवधि के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है और सरकार द्वारा उसके प्रयासों की सराहना की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै;
(ख) क्या केन्द्रीय भण्डार ने पिछले तीन वर्षों में 400 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै;
(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार ने संकट के समय दिल्ली में बहुत कम कीमत पर दाल/प्याज आदि उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै;
(घ) क्या सरकार ने बहु - राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और यदि हाँ, तो क्या सरकार की स्टेशनरी ओएम को बहाल करने की योजना है जो 31.03.2015 तक लागू थी; और
(ङ) क्या सरकार का देशवासियों के लाभ के लिए दिल्ली की तरह केन्द्रीय भण्डार की सेवाओं को अन्य शहरों/राज्यों में विस्तारित करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क)से (ङ): केन्द्रीय भंडार सहित बहु-राज्य सहकारी समितियाँ, बहु-राज्यीयसहकारी समितियाँ (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं और एमएससीएस अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं अपने अनुमोदित उप-विधियोंके प्रावधानोंकेअनुसार कार्य करती हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत समितियां अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य कर रही हैं। एमएससीएसअधिनियम, 2002 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार, व्यावसायिक मामलेसमिति के बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि बताया गया है, 31 मार्च, 2018 को केंद्रीय भंडार की बिक्री रु 750.14 करोड़ और 31 मार्च, 2021 को 2911.41 करोड़ है।

*****